



उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति
(श्री राधा गोल्फ सैक्टर-3) ऑनलाइन फाइल संख्या 20190611141822210

(8) स्थल पर वृक्ष कटव, अशोक आदि के लगाने होंगे।

~~उपस्थित~~
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा ।